MRA AN USUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 266] No. 266] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2010 वैशाख 29, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2010/VAISAKHA 29, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसुचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सा.का.नि. 420(अ).—इस मंत्रालय के दिनांक 16 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ) (फा. सं. 674/1/2005-सीमा-शुल्क-VIII)का आंशिक आशोधन करते हुए तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, 25 मई, 2010 से 26 जून, 2010 तक की अविध के लिए एक सलाहकार मंडल का पुनर्गठन करती है. जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- (i) माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रविन्द्र भट्ट, अध्यक्ष
- (ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एन. ढींगरा, सदस्य
- (iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. भसीन, सदस्य
- 2. 16 मार्च, 2010 की पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत पहले गठित किया गया सलाहकार मंडल 27 जून, 2010 से कार्यकलाप जारी रखेगा।

[फा. सं. 674/1/2005-सी. श.-VIII]

ए. के. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी: — दिनांक 16 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ) दिनांक 17 मार्च, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2010

G.S.R. 420(E).—In partial modification of this Ministry's Notification No. G.S.R. 195(E) dated 16th March, 2010 (F. No. 674/1/2005-Cus.-VIII) and in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby re-constitutes an Advisory Board for a period with effect from 25th May, 2010 to 26th June, 2010, consisting of:—

- (i) Hon'ble Mr. Justice S. Ravindra Bhat, Chairman
- (ii) Hon'ble Mr. Justice S. N. Dhingra, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice P. K. Bhasin, Member
- 2. With effect from 27th June, 2010, the Advisory Board already constituted *vide* the aforesaid Notification dated 16th March, 2010 shall continue to function.

[F. No. 674/1/2005-Cus.-VIII]

A. K. SHARMA, Under Secy.

Foot Note:— The Notification No. G.S.R. 195(E) dated 16th March, 2010 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 17th March, 2010.

1903 GI/2010